रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.—33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42] दिल्ली, बुधवार, मार्च 7, 2012/फाल्गुन 17, 1933 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 309
No. 42] DELHI, WEDNESDAY, MARCH 7, 2012/PHALGUNA 17, 1933 [N.C.T.D. No. 309

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2012

सं. 231/नियम/डी.एच.सी.—दिल्ली राजपत्र (असाधारण), सं. 202, भाग-IV, (एन सी टी डी सं. 223) दिनांक 14 दिसम्बर, 2011 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 578/नियम/डी एच सी दिनांक 14 दिसम्बर, 2011 के अंग्रेजी रूपान्तर में कुछ मुद्रण त्रुटियां हुई हैं। इसे निम्नलिखित रूप से पढ़ा जाना चाहिए:—

1. शीर्षक ''आदेश XX-बी'' के पश्चात्, शीर्षक में शब्दों ''मान्यता'' एवं ''इलेक्ट्रानिक रूप से हस्ताक्षरित'' के मध्य, शब्द ''को'' अन्तः स्थापित किया जाना चाहिए।

2. शीर्षक ''आदेश XX-बी'' के पश्चात्, शीर्षक में शब्दों एवं अभिव्यक्ति ''आदेशों,'' एवं ''एवं डिक्रियों'' के मध्य शब्द ''निर्णय'' को ''निर्णयों'' के रूप में पढ़ा जाना चाहिये।

न्यायालय के आदेशानुसार,
वी.पी. वैश्य, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI

CORRIGENDUM

New Delhi, the 7th March, 2012

No. 231/Rules/DHC.—Some printing errors have occurred in the English version of the Notification No. 578/Rules/DHC dated 14th December, 2011 published in Delhi Gazette (Extraordinary), No. 202, Part IV, (NCTD No. 223) dated 14th December, 2011. It should be read as under :—

1. After the title "Order XX-B", in the heading the word "of" should be inserted between the words "Recognition" and "Electronically Signed".

2. After the title "Order XX-B", in the heading the word "Judgment" between the words and expression "Orders," and "and Decrees" should be read as "Judgments".

By Order of the Court,
V. P. VAISH, Registrar General

भूमि व भवन विभाग

(भूमि अधिग्रहण शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 7 मार्च, 2012

सं. फा. 8(01)/2012/भू व भ/भू अ/17173.—जबकि दिल्ली के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजन एवं सार्वजनिक व्यय पर सरकार द्वारा हर्ष विहार गांव मंडोली में 400 220 के.वी. का ग्रिड स्टेशन के निर्माण हेतु प्राप्त किया जाना है। अत: इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित इलाके में उक्त प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाना संभावित है।

यह अधिसूचना भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अधीन सर्वसम्बंधित के लिए प्रचालित की जाती है।

पूर्वोक्त धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल तत्समय कार्यरत अधिकारियों को उनके कर्मचारियों एवं कामगारों सहित इलाके में किसी भी भूमि में प्रवेश करने व सर्वेक्षण करने और उक्त धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमति प्राप्त सभी अन्य कार्य करने के लिए सहर्ष प्राधिकृत करते हैं।

कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे इलाके में किसी भी भवन के अर्जन में कोई आपत्ति है, अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर दिल्ली के भूमि अधिग्रहण समाहर्ता (उत्तर-पूर्व) के समक्ष अपनी आपत्ति लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकता है।

भूमि के नक्शे का अवलोकन दिल्ली के भूमि अधिग्रहण समाहर्ता (उत्तर-पूर्व) डी.सी. आफिस काम्प्लेक्स, नन्द नगरी, दिल्ली, के कार्यालय में किया जा सकता है।

विशिष्ट विवरण

गांव	कुल क्षेत्र बीघा-बिस्वा	क्षेत्र वर्ग मीटर	खसरा नम्बर	क्षेत्र बीघा-बिस्वा
मंडोली	21-03	17830.93	5//22/2	1-09
			5//23	4-14
			6//21	2-14
			6//22/1	3-12
			6//23/1/1	1-16
			8//2/2	2-02
			8//12	4-16
			कुल	**21-03**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

विनय कुमार, अतिरिक्त सचिव

LAND AND BUILDING DEPARTMENT

(Land Acquisition Section)

NOTIFICATION

Delhi, the 7th March, 2012

No. F. 8(01)/2012/L&B/LA/17173.—Whereas it appears to the Lt. Governor, Delhi that land is likely to be required to be taken by Government at the public expense for a public purpose namely for "Acquisition of land for construction of 400X220 KV Grid Station by Delhi Transco Ltd., At Harsh Vihar in village Mandoli, Delhi.

It is hereby notified that the land in the locality described below is likely to be acquired for the above purpose.

The notification is made, under the provisions of sub-section (1) of Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894, to all whom it may concern.

In exercise of the powers conferred by the aforesaid Section, the Lt. Governor, Delhi is pleased to authorize the officers for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon and survey the land in the locality and do all other acts required or permitted by that Section.

Any person, interested, who has any objection to the acquisition of any land in the locality, may within 30 days of the publication of the notification file an objection in writing before Land Acquisition Collector, (North-East), Delhi.

Map showing the boundaries of the land covered by the notification is availble for inspection in the office of the Land Acquisition Collector, (North East) Weavers Complex, Nand Nagri, Delhi.

SPECIFICATION

Village	Total Area Bigha-Biswa	Area Sq.Mtr.	Khasra No.	Area Bigha-Biswa
Mandoli	21-03	17830.93	5//22/2	1-09
			5//23	4-14
			6//21	2-14
			6//22/1	3-12
			6//23/1/1	1-16
			8//2/2	2-02
			8//12	4-16
			Total	**21-03**

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
VINAY KUMAR, Addl. Secy.

व्यापार एवं कर विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 7 मार्च, 2012

सं. फा. 5(54)/पी-II/वैट/2010-11/1315-1327.—जबकि विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के पारस्परिकता के सिद्धांतों के अनुरूप, नई दिल्ली में बुरूंडी गणराज्य के दुतावास की सरकारी खरीद एवं इसके राजनयिकों के द्वारा निजी खरीद के पक्ष में, तत्काल प्रभाव से, वैट रिफंड की सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से पत्र संख्या डी-II/451/12(19)/2009 दिनांक 23-01-2012 के द्वारा, अनुरोध किया गया है।

और जबकि मैं, राजेन्द्र कुमार, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, यह मानता हूँ कि ऐसा करना जनसाधारण के हित में समीचीन है।

अब इसलिए, दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 03) की धारा 103 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की छठी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता हूँ, अर्थात्:—

संशोधन

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 03) की छठी अनुसूची में, भाग-क में क्रम संख्या 1 पर प्रविष्टि में, क्रम संख्या (15क) के उपरांत नई उप-प्रविष्टि सन्निविष्ट की जाएगी, अर्थात्:—

"(15ख) बुरूंडी गणराज्य

नई दिल्ली स्थित बुरूंडी गणराज्य के दूतावास की सरकारी खरीद और इसके राजनयिकों के द्वारा निजी खरीद के मूल्य संवर्धित कर की छूट/वापसी" रिफंड के लिए योग्य न्यूनतम इन्वाइस मूल्य 1500/- रुपये होगा।

राजेन्द्र कुमार, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES

NOTIFICATION

Delhi, the 7th March, 2012

No. F. 5(54)/P-II/VAT/2010-11/1315-1327.—Whereas, the Ministry of External Affairs, Government of India, in accordance with the principles of reciprocity, have requested the Government of National Capital Territory of Delhi to grant facilities for exemption/refund of VAT in respect of official purchases of the Embassy of the Republic of Burundi in New Delhi and personal purchases of its diplomats with immediate effect *vide* their letter No. D-II/451/12(19)/2009 dated 23-01-2012.

And whereas, I, Rajendra Kumar, Commissioner, Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, am of the opinion that the request is expedient in the interest of general public.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 103 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 03 of 2005), I hereby makes the following amendment in the Sixth Schedule of the said Act namely :

AMENDMENT

In the Sixth Schedule of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 03 of 2005), in the entry at Sl. No. 1, in Part-A, new sub-entry after Sl. No. (15A) shall be inserted, namely :—

"(15B) Republic of Burundi

- Exemption/refund of VAT for official purchases of the Embassy of the Republic of Burundi in New Delhi and personal purchases of its diplomats."

Minimum Invoice value eligible for refund shall be Rs. 1500/-.

RAJENDRA KUMAR, Commissioner, Value Added Tax

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.